

संयुक्त शिक्षा निदेशक  
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रीत बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक : सी०बी०एस०ई०अम्बे०(27) / — /2016-17 दिनांक : 15-09-2016

विषय : एस०बी०एस० कॉलेज मथिया अम्बेडकरनगर उ०प्र० को सी०बी०एस०ई०  
बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

संयुक्त विषयक एस०बी०एस० कॉलेज मथिया अम्बेडकरनगर (उ०प्र०)  
को सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये  
जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या-1916/15-7-09-1 (299)/2007  
दिनांक 14 जुलाई 2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत आयुक्त, फैजाबाद  
मण्डल फैजाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 05-09-2016  
को आहूत की गयी। उक्त बैठक में समिति के सदस्यों की संस्तुति एवं सम्यक  
विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

- (क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया  
जायेगा।
- (ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य  
होगा।
- (ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित  
जनजाति के भेद्यी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश  
माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में  
विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया  
जायेगा।
- (घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और  
यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा  
विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई  
दिल्ली/काउन्सिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई  
दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने  
की स्थिति से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त  
हो जायेगा।

कुलुम सिंह  
MANAGER  
S.B.S.College Mathiya  
Ambedkar Nagar

PRINCIPAL  
S.B.S.College Mathiya  
Ambedkar Nagar

- (ड.) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (घ) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (ङ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो आदेश निर्यात किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- (च) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पत्रिकाओं में रखा जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त विद्यालय के मानक के अन्तर्गत दिये परिशिष्ट-3 के क्रम 5, 8 जो निम्नवत् हैं :-

### शिक्षक/कर्मचारी की अर्हता

विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षण कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता यही होगी जैसा कि यथास्थिति काउन्सिल फार दि इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन में वर्णित हो। मुख्यतः कक्षा-12 के प्रधानाचार्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा-10 तक के प्रधानाध्यापक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा 11-12 में पढ़ाने वाले अध्यापक उस विषय के स्नातकोत्तर होंगे जिसमें शिक्षण कार्य किया जाना हो। कक्षा-6-10 तक पढ़ाने वाले अध्यापक सम्बन्धित विषय के साथ स्नातक एवं प्रशिक्षित होने चाहिए। पूर्व प्राथमिक तथा कक्षा-1 से 5 तक शिक्षण के लिये हाईस्कूल, जे०टी०सी०, बी०टी०सी०, एन०टी०सी० तथा इण्टर के साथ सी०टी०, जे०टी०सी०, बी०टी०सी० या समकक्ष योग्यता होनी चाहिये।

### वेतन तथा सेवा शर्तें

प्रत्येक ऐसे विद्यालय के कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तें बनायी जायेंगी जिसमें परीक्षा काल, स्थायीकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में विधिसम्मत प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही अवकाश नियम, पेंशन, ग्रेज्युटी, बीमा, पी०एफ० तथा अन्य कल्याणकारी योजना का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। सेवा शर्तें समता, समानता, धर्म, जाति, भाषा, लिंग से रहित नैसर्गिक न्याय तथा संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिये।

विद्यालय के शिक्षण/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को कम से कम वही वेतनमान तथा अन्य भत्ते देने होंगे जो राज्य सरकार के शासकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को समय-समय पर दिये जाते हैं किन्तु किसी

कुलुभ सिंह  
MANAGER  
S.B.S.College Mathiya  
Ambedkar Nagar

R.K.  
PRINCIPAL  
S.B.S.College Mathiya  
Ambedkar Nagar

कारणवश विद्यालय की आय क्षमता इतनी न हो तो वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से किसी भी दशा में कम नहीं होना चाहिये। उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त विद्यालय, शासन/विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य शर्तों को भी पूरा करेंगे।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई तथ्य प्रेषित किया गया हो अथवा किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र निरस्त करने का अधिकार राजाज्ञा संख्या 1916/15-7-09-01 (299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति में सुरक्षित रहेगा।

भवदीय

(उदयमान)

संयुक्त शिक्षा निदेशक  
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद

पृ०संख्या : सी०बी०एस०ई०अम्बे०(27)/5380-87/2016-17 दिनांक उक्तवत्।  
पंजीकृत

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  - 2- शिक्षा निदेशक (मा०) शिविर कार्यालय 18-पार्क रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
  - 3- आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
  - 4- जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
  - 5- जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेडकरनगर।
  - 6- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
  - 7- प्रबन्धक, एस०बी०एस० कालेज मथिया अम्बेडकरनगर उ०प्र०
  - 8- गार्ड फाइल।

संयुक्त शिक्षा निदेशक  
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद

15-9-2016

कुलम लिट  
MANAGER  
S.B.S.College Mathiya  
Ambedkar Nagar

(P.K.)  
PRINCIPAL  
S.B.S.College Mathiya  
Ambedkar Nagar